139

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (म0प्र0)

III/निगरानी/सिंगरौली/भू.रा/2017/4063

बेंचन सिंह पिता मोलई सिंह गोंड़ निवासी ग्राम चकुआर तहसील देवसर जिला सिंगरौली (म0प्र0)

........................आवेदक

बनाम

रामधनी पिता करन सिंह गोंड़ निवासी ग्राम चकुआर तहसील देवसर जिला सिंगरौली (म0प्र0)

........................अनावेदक

पुनरीक्षण विरूद्ध आदेश अपर कलेक्टर महोदय जिला सिंगरौली (म0प्र0) प्रकरण कमांक 61/निगरानी/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 11/09/2017

पुनरीक्षण/निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

श्री पी. एन. मिश्रा द्वारा आज दि. 30.10.17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 30.10.17

P/D 2-11-17

मान्यवर,

निम्नांकित आधारों पर पुनरीक्षण/निगरानी पेश है :–

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रकिया के विपरीत होने के कारण तथा सहज न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्तगी योग्य है।
2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनावेदक द्वारा पेश की गई निगरानी प्रथम दृष्ट्या समयाबाधित थी कारण कि न्यायालय तहसीलदार तहसील देवसर के द्वारा जरिये प्रकरा कमांक 70/अ–19(1)/1992–93 में पारित आदेश दिनांक 30/06/1993 के तहत भूमि खसरा कमांक 2 रकवा 0.41 हे0 खसरा कमांक 4 रेवा 0.32 हे0 एवं ख0क0 5 रकवा 0.22 हे0 कुल किता 3 योग रकवा 0.95 हे0 का भूमिस्वामी घोषित किया गया था जिसके विरूद्ध निगरानी 16–17 वर्ष बाद पेश की गई थी जबकि अनावेदकगण उसी गांव के निवासी थे।

(139)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक III / निग. / 17 / 4063 जिला– सिंगरौली

बेचन सिंह विरुद्ध रामधनी सिंह गोंड

(1)	(2)
18-12-18-	1. आवेदक की ओर से श्री पी. एन. मिश्रा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ~~कलेक्टर~~/ अपर कलेक्टर, जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 61 / निगरानी / 2009-10 में पारित आदेश दिनांक 11-9-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 7-3-19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य